राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 6018/2021

रूपचन्द वैष्णव **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग, राजस्थान सरकार, अजमेर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 26.11.2021
आदेश की दिनांक : 10.11.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सौरभ पुरोहित, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य वसूली/पुनर्निधारण आदेश को अपास्त फरमाया जावे और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को प्रथम चयनित वेतनमान रूपये 975–1720, द्वितीय चयनित वेतनमान रूपये 1200–2050 एवं तृतीय चयनित वेतनमान 1640–2900 क्रमशः 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर समस्त पारिणामिक लाभ सहित प्रदान किया जावे एवं शेष राशि पर ब्याज का भुगतान किए जाने के आदेश दिए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति मलेरिया सर्विलांस वर्कर के पद पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा में दिनांक 03.04.1965 को हुई थी और उसे दिनांक 02.04.2016 से आदेश दिनांक 14.09.1973 के द्वारा स्थाई किया गया। अपीलार्थी को वरिष्ठ मलेरिया निरीक्षक और बाद में सहायक मलेरिया अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया। अधिसूचना दिनांक

16.07.1992 के द्वारा दिनांक 03.06.1982 से कई पदों को एक साथ जोड़कर मल्टी पर्पज वर्कर अथवा वैक्सीनेटर सुपरवाइजर, सेनेट्री इंसपेक्टर, परिवार नियोजन एवं स्वास्थ्य सहायक आदि को भी जोड़कर स्वास्थ्य कार्यकर्ता (वरिष्ठ वेतनमान) एवं वरिष्ठ मल्टी पर्पज वर्कर नाम दिया गया। संशोधन उपरांत प्रत्यर्थी विभाग द्वारा फीडर पद एवं पदोन्नति पर उस समान वेतनमान रूपये 975–1720 निर्धारित किया गया और दिनांक 25.01.1992 के अनुसरण में अपीलार्थी को 9 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर प्रथम चयनित वेतनमान रूपये 975–1720 दिया गया एवं 18 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर द्वितीय चयनित वेतनमान रूपये 1200–2050 दिया गया और 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर तृतीय चयनित वेतनमान 1640–2900 दिया गया। जबकि अपीलार्थी को उक्त लाभों से वंचित किया गया। उनका कथन है कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 21.12.1994 के द्वारा द्वितीय चयनित वेतनमान 975–1720 और तृतीय चयनित वेतनमान 1200–2050 दिया गया, जो नियम विरूद्ध है और अपीलार्थी को तृतीय चयनित वेतनमान 1640–2900 नहीं दिया गया और इस प्रकार अपीलार्थी को मात्र दो चयनित वेतनमान प्रदान किए गए। अपीलार्थी ने विभाग को कई अभ्यावेदन दिए, परंतु कोई निस्तारण नहीं किया गया। अधिकरण द्वारा भी चंद्र शेखर कुमावत अपील संख्या 351/1999 में दिनांक 25.02.2002 को आदेश पारित किया, जिसमें वसूली आदेश को अपास्त किया और प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान 975–1720, 1200–2050 एवं 1640–2900 दिया जाना उचित माना है। इसी प्रकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 4627/2005 जिसमें अधिकरण के आदेश को चुनौती दी गई और माननीय न्यायालय ने सरकार की अपील को खारिज किया तथा अधिकरण के आदेश को सही माना। इस प्रकार अपीलार्थी भी उक्त तीनों चयनित वेतनमानों का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य वसूली/पुनर्निधारण आदेश को अपास्त फरमाया जावे और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को प्रथम चयनित वेतनमान रूपये 975–1720, द्वितीय चयनित वेतनमान रूपये 1200–2050 एवं तृतीय चयनित वेतनमान 1640–2900 क्रमशः 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर समस्त पारिणामिक लाभ सहित प्रदान किया जावे एवं शेष राशि पर ब्याज का भुगतान किए जाने के आदेश दिए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि राज्य सरकार द्वारा पद रिक्त न होने पर कार्मिकों को पदोन्नति नहीं मिलने के कारण परिपत्र दिनांक 25.01.1992 के आधार पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर दिए जाने का प्रावधान किया गया है। अपीलार्थी का पद स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरूष का पद हो गया, जो संवर्ग में संशोधन के आधार पर किया गया है और इस प्रकार अपीलार्थी उक्त पद के आधार पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान 975–1720, 1025–1800 एवं 1200–2050 प्राप्त करने का हकदार है। जबकि अपीलार्थी 975–1720, 1200–2050 एवं 1640–2900 वेतनमान दिए जाने की मांग की है, जो नियम विरूद्ध है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण को ध्यानपूर्वक सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति मलेरिया सर्विलांस वर्कर के पद पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा में दिनांक 03.04.1965 को हुई थी। अपीलार्थी को वरिष्ठ मलेरिया निरीक्षक और बाद में सहायक मलेरिया अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया। अधिसूचना दिनांक 16.07.1992 के द्वारा कई पदों को एक साथ जोड़कर मल्टी पर्पज वर्कर और अन्य कई नए पदनाम दिए गए। परिपत्र दिनांक 25.01.1992 के अनुसरण में अपीलार्थी को प्रथम एवं द्वितीय चयनित वेतनमान समान वेतनमान रूपये 975–1720 दिया गया और तृतीय चयनित वेतनमान 1200–2050 आदेश दिनांक 21.12.1994 द्वारा दिया गया। जबकि अपीलार्थी वेतनमान रूपये 1200–2050 द्वितीय चयनित वेतनमान प्राप्त करने का हकदार था और तृतीय चयनित वेतनमान 1640–2900 प्राप्त करने का हकदार था। इस प्रकार प्रथम व द्वितीय चयनित वेतनमान की एक ही वेतन श्रृंखला 975–1720 रखी जाने का विभाग का निर्णय सही होना नहीं माना जा सकता। प्रथम पदोन्नति हैल्थ वर्कर, द्वितीय पदोन्नति सेक्टर सुपरवाईजर एवं तृतीय पदोन्नति ब्लॉक हैल्थ सुपरवाईजर के पद पर मिलती एवं उक्त पदोन्नति के पदों की वेतन श्रृंखला क्रमशः रूपये 975–1720, 1200–2050 एवं 1640–2900 है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं इस अधिकरण ने समय–समय पर अभ्यर्थीगण को उक्त वेतन श्रृंखलाओं के अनुसार प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान स्वीकृत किए जाने के आदेश पारित किए हैं। ऐसी स्थिति में हमारे मत में साम्यता के सिद्धांत के आधार पर अपीलार्थी को भी 9, 18 एवं 27

वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान क्रमशः 975–1720, 1200–2050 (संशोधित वेतन श्रृंखला 4000–6000) एवं 1640–2900 (संशोधित वेतन श्रृंखला 5500–9000) मय स्वीकार किया जाना चाहिए।

यहां यह उल्लेखनीय है कि चयनित वेतनमान के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान सरकार बनाम जगदीश प्रसाद (एआईआर 2010 एससी 157) में यह अभिनिर्धारित किया है कि कर्मचारीगण चयनित वेतनमान का लाभ नियमित नियुक्ति की दिनांक से सेवा की गणना करते हुए प्राप्त करने के अधिकारी हैं और इस प्रकार उक्त निर्णय के अनुसार अपीलार्थी प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि अपीलार्थी को 9 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर प्रथम चयनित वेतनमान 975–1720, 18 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर द्वितीय चयनित वेतनमान 1200–2050 (संशोधित वेतन श्रृंखला 4000–6000) एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर तृतीय चयनित वेतनमान 1640–2900 (संशोधित वेतन श्रृंखला 5500–9000) में अपीलार्थी की नियमित नियुक्ति की दिनांक से सेवाओं की गणना करते हुए स्वीकार किया जावे और उक्त वेतन श्रृंखलाओं की समरूपी संशोधित वेतन श्रृंखलाओं में अपीलार्थी का वेतन निर्धारण करते हुए समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किए जावें।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य